दिनांक 12.06.2018

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त श्री के0एल0 चौहान के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का 14 जुन 2018 को दुर्ग जिला, भिलाई आगमन पर नगर निगम क्षेत्र से आने वाले नागरिकों के लिए वाहन व्यवस्था के संबंध में नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारियों की ड्युटी नोडल अधिकारी, रुट प्रभारी एवं वाहन व्यवस्था से संबंधित कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया गया है । उक्त आदेश के परिपालन में आज 12 जुन को प्रातः 11 बजे निगम मुख्य कार्यालय के सभागार में संलग्न अधिकारी, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु बैठक आयोजित की गई। प्रशिक्षण में सभी विभाग प्रमुख अपने संलग्न कर्मचारियों के साथ उपस्थित रहे, जिसमें रुट से संबंधित जानकारी अधीक्षण अभियंता श्री सत्येन्द्र सिंह एवं प्रभारी उपायुक्त श्री अशोक द्विवेदी के द्वारा दी गई।

प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश वाहन व्यवस्था में संलग्न अधिकारी, कर्मचारियों को दिये गये जिसमें वाहन प्रभारी वाहन प्रारम्भ होने वाले स्थल पर वाहन के साथ प्रातः 5.30 बजे उपस्थित रहेंगे, वाहन में आने वाले लोगों को एकत्रित करेंगे, पुरा वाहन भरने के उपरान्त सभा स्थल के लिए रवाना होंगे, वाहन हेतु निर्धारित पार्किंग स्थल तक लेकर जायेंगे, पार्किंग स्थल से सभा स्थल तक लोगों को लेकर जायेंगे, सभा समाप्त होने उपरान्त लोगों को पार्किंग स्थल तक लायेंगे, पार्किंग स्थल में लोगों को निर्धारित वाहन में बैठायेंगे, उस वाहन में आये सभी लोग (महिला, बच्चें, एवं पुरुष) वाहन में बैठाने के उपरान्त ही वाहन वापसी के लिए रवाना होंगे, वाहन में आये सभी लोगों को (महिला, बच्चें, एवं पुरुष) उनके निवास स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वाहन प्रभारी (रुट प्रभारी) की होगी, वाहन प्रभारी वाहन में बैठे लोगों के मान से भोजन पैकेट एवं पानी पाउच प्राप्त करेंगे, सभा में सम्मिलित लोगों को उनके निवास स्थान तक वापस पहुंचाने का प्रमाण पत्र देना होगा। कार्यशाला के दौरान उपस्थित अधिकारी, कर्मचारियों ने वाहन व्यवस्था के संबंध में अपनी–अपनी बातें रखी जिसका समाधान उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। निगम आयुक्त श्री चौहान ने वाहन व्यवस्था में जुड़े समस्त अधिकारी, कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे अपने–अपने सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करें। कार्य पर लापरवाही या अनुपस्थित पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

जनसम्पर्क अधिकारी